कार्यालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज बनाम मु. सं.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम यह पाते है कि गत खसरा नम्बर 125 रकबा 2 बीघा 07 विस्वा के खातेदार सतीशचन्द पुत्र बाबूलाल गर्ग सा. महवा व देव प्रकाश पुत्र मनोहर लाल महाजन सा. बाछरेन को 1000 वर्ग गज भूमि को सहायक कलैक्टर महवा के आदेश कमांक 1744-1746 दिनांक 24-06-1980 आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित किया जा चुका है किन्तु इसका अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में नहीं किया गया है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है। **आदेश** अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम शहदपुर तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 438 रकबा 0.60 हैक्टयर में से 1000 वर्ग गज भूमि को आवासीय (आबादी) में दर्ज किया जावे। तहसीलदार महवा को आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07-01-2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी महवा (जिला दौसा)	